

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 26/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2017

सा.का.नि.....(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 46 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड घोषणा) रेग्यूलेशन, 2011 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है, अर्थात:-

1.(1) इन विनियमों का नाम बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड घोषणा) संशोधन रेग्यूलेशन, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड घोषणा) रेग्यूलेशन, 2011, में विनियम 4,के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रति-स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“विनियम 4(i) प्राधिकृत व्यक्ति, उस दिन जब वस्तुओं को ले जाने वाला हवाई जहाज अथवा वैसल अथवा व्हीकल उस कस्टम स्टेशन पर पहुंचता है जिस पर ऐसी वस्तुओं की घरेलू उपभोग अथवा वेयरहाउसिंग के लिए निकासी की जानी है, से अगले दिन के अंत से पूर्व (अवकाश वाले दिन को छोड़कर) बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करेगा।

(2) बिल ऑफ एंट्री को भरा हुआ मान लिया जाएगा और पूरी की गई इयूटी का स्व-निर्धारण मान लिया जाएगा जब, आईसगेट अथवा सेवा केंद्र के माध्यम से डेटा एंट्री के द्वारा इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक समेकित घोषणा की एंट्री के पश्चात, उक्त घोषणा के संबंध में भारतीय कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रणाली द्वारा एक बिल ऑफ एंट्री संख्या जनरेट कर दी जाती है।

(3) जहां कहीं बिल ऑफ एंट्री उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत नहीं की जाती है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं थे तो आयातक बिल ऑफ एंट्री के देर से प्रस्तुत किए जाने के लिए आरंभ के 3 दिन की चूक के लिए 5 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से और इसके पश्चात चूक के लिए 10 हजार रुपए प्रतिदिन के दर से प्रभार अदा करने का दायी होगा :

बशर्ते कि यहां कहीं समुचित अधिकारी विलंब के कारणों से संतुष्ट है तो वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के द्वितीय परंतुक में संदर्भित प्रभार को माफ कर सकता है।

(3) ऐसे मामलों में बिल ऑफ एंट्री के देरी से प्रस्तुत किए जाने में कोई भी प्रभार अदा नहीं किया जाना होगा,जहां एंट्री इनवार्ड, वित्त विधेयक, 2017 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व हो चुका है।”

[फा. सं. 450/32/2016-सीमाशुल्क (IV)]

(शैफाली जी. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान विनियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 838 (अ) दिनांक 25 नवंबर, 2011 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इनमें अधिसूचना सं. 45/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया गया था।